Online Public Data Entry Summary

UKPDE2024090300222

DISTRICT NAME :टिहरी गढ़वाल SRO :जाखणीधार

उत्तराखण्ड शासन UKPDE2024090300222 From 16 Feb 2023 19-Mar-2024 10:47:51AM

Appointment Date: 19 Mar 2024 Appointment Time:01:30 p.m to 02:30 p.m **Appointment TokenNo:1**

181/2024

Deed/Article Type :Lease

Sub-Deed/Sub-Article Lease(Not Exceeding 30 years)

Village/Location For Index खान्दी -B.4 जाखणीधार-मरांकोट मोटर मार्ग

Village/Location/Road Selected for Circle RateList :खान्दी -B.4 जाखणीधार-मरांकोट मोटर मार्ग

Khewat :

Khatoni :00026 00030 00006

Khasra :322 323 324 362 325 364 366 363 285

House/Flat No.

Area :2,990.0000 वर्ग मीटर

Latitude -

Longitude 0.0000000000

Land Value :0.00

Construction Value :0.00

Transaction Value :0.00

Market Value :0.00

Advance :0.00

Lease Period :27.00

Avg. Rent :5,711.17

Stamp Duty :8,300.00

Regn Fees :4,120.00

Pasting Fees :100

Page :28

<u>व्यवसायिक निर्माण का विवरण</u>

क्र.सं	निर्माण का प्रकार	क्षेत्रफल

<u>आवासीय निर्माण का विवरण</u>

क्र सं	निर्माण क्षेत्र	निर्माण का प्रकार	निर्माण तल	ह्रास वर्ष	दशा

<u>निबंधक शुल्क का विवरण</u>

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक
1	Cash	4,120.00	

<u>स्टाम्प शुल्क का विवरण</u>

क्र सं	भुगतान की विधि	धनराशि	संदर्भ क्रमांक	जारी दिनांक	स्टांप विक्रेता आईडी
1	e-Stamp	8,300.00	-	19-Mar-2024	15

बीना देवी विक्रम सिंह

पक्षकारों का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का विवरण	हस्ताक्षर	व्यवसाय	पैन नं	मोबाइल नं	पहचान पत्र संख्या
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री विक्रम सिंह पुत्र श्री शीश सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-धार, तहसील-जाखणीधार,जिला-टिहरी गढ़वाल	विक्रम सिंह	Self employed		9897501750	ADHAAR : 460529151389
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्री वीरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-धार, तहसील-जाखणीधार,जिला-टिहरी गढ़वाल		Self employed		9027522490	ADHAAR : 588359915105
विक्रेता / प्रथम पक्ष	श्रीमती कोरी देवी पत्नी श्री [illegible] राम पुत्री इन्द्रमणी निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-धार, तहसील-जाखणीधार,जिला-टिहरी गढ़वाल		House wife		9560983348	ADHAAR : 993027704166
क्रेता / द्वितीय पक्ष	श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री ऋषिपाल निवासी ग्राम व पोस्ट-खेड़ाजट, हरिद्वार उत्तराखण्ड	बीना देवी	House wife		9719892109	ADHAAR : 340984997506
गवाह	श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-धार, तहसील-जाखणीधार,जिला-टिहरी गढ़वाल		Self employed		9719123545	ADHAAR : 493532279535
गवाह	श्री विकास स्वरूप पुत्र श्री माधवानन्द निवासी ग्राम-खान्दी, पट्टी-धार, तहसील-जाखणीधार,जिला-टिहरी गढ़वाल	विकास	Self employed		9084424742	ADHAAR : 552609349306

Deed Writer /Advocate Name :D.Dumoga Adv.

भारत सरकार
Government of India

विक्रम सिंह
VIKRAM SINGH
जन्म तिथि / DOB : 15/05/1981
पुरुष / Male

4605 2915 1389

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता: जखनीधार, खांडी मय मरोड़ा, खंडी माया कफाली, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड, 249123

Address: JAKHNI DHAR, khandi may marola, Khandi Maya Kafali, Tehri Garhwal, Uttarakhand, 249123

4605 2915 1389

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

दीवन सिंह
Deewan Singh
जन्म तिथि/DOB: 01/08/1963
पुरुष/ MALE

5883 5991 5105
VID : 9171 4170 8006 3659

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
द्वारा: भीवा सिंह, खांडी मय मरोड़ा, खंडी माया कफाली, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखंड - 249123

Address:
C/O: Bhiwa Singh, khandi may maroda, Khandi Maya Kafali, Tehri Garhwal, Uttarakhand - 249123

5883 5991 5105
VID : 9171 4170 8006 3659

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

किडी देवी
Kidi Devi
जन्म तिथि / DOB : 25/02/1951
महिला / Female

9930 2770 4166

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
W/O हरी राम, पता-मकान.न०-325, ब्लाक न०-21, त्रिलोक पुरी, पटपड़गंज, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली, 110091

Address:
W/O Hari Ram, Add-H.N0-325, Block N0-21, Trilok Puri, Patparganj, East Delhi, Delhi, 110091

9930 2770 4166

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

भारत सरकार
Government of India

बीना देवी
Beena Devi
जन्म तिथि/DOB: 01/01/1963
महिला/ FEMALE

आधार पहचान का प्रमाण है, नागरिकता या जन्मतिथि का नहीं। इसका उपयोग सत्यापन (ऑनलाइन प्रमाणीकरण, या क्यूआर कोड / ऑफलाइन एक्सएमएल की स्कैनिंग) के साथ किया जाना चाहिए।

Aadhaar is proof of identity, not of citizenship or date of birth. It should be used with verification (online authentication, or scanning of QR code / offline XML).

3409 8499 7506

मेरा आधार, मेरी पहचान

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
Unique Identification Authority of India

पता:
W/O: [illegible], खेदाजट, खेदाजट, [illegible], 247670

Address:
W/O: Nainpal, KHEDAJAT, KHEDAJAT, Khedla Jat, DIST: Haridwar, Uttarakhand - 247670

3409 8499 7506
VID : [illegible]

1947 | help@uidai.gov.in | www.uidai.gov.in

कार्यालयः उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
तहसील भवन, नरेन्द्रनगर ,जनपद–टिहरी गढ़वाल।
फोन नं0 – 01378–227260
email- ureda.tehri@gmail.com

पत्रांक संख्या 7-22/उरेडा/मु.मं. सौर स्व0यो/ 2023–24 दिनांक 14 मार्च, 2024

सेवा में, परियोजना आवंटन पत्र

श्रीमती बीना देवी
खेड़ा जाट
हरिद्वार।

विषयः–" मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 200 कि0वा0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आपके online आवेदन के निर्धारित शर्तो के अनुसार परीक्षणोंपरान्त उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत 200 kW क्षमता का सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट आपको निम्न शर्तो के आधार पर आवंटित किया जाता है।

क्रम सं0	मद	विवरण
01.	पंजीकरण संख्या–	2669
02.	संयत्र की क्षमता	200 कि0वा0
02.	निर्धारित विद्युत विक्रय दर	परियोजना की कमीशनिंग की तिथि के सापेक्ष मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान में रू0 4.64 प्रति यूनिट)
03.	प्रस्तावित स्थापना स्थल (इस आवंटन पत्र के सापेक्ष परियोजना की स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमन्य नहीं है)	कण्डी, विकास खण्ड–जाखणीधार, टिहरी गढ़वाल।
04.	संयत्र की कमीशनिंग हेतु निर्धारित अंतिम तिथि	परियोजना आवंटन तिथि से 12 माह के अन्तर्गत
05.	संयत्र से उत्पादित विद्युत के क्रय की अवधि	संयत्र की कमीशनिंग तिथि से 25 वर्षो तक

01. योजना हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 697/I-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020, संशोधित शासनादेश संख्या 72/I-1/2021-03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं 385/I-1/2023-03/02/2020 दिनांक 13 मार्च, 2023 एवं पत्र संख्या– 1058/I-1/2023-03/02/2020(F-File No.30740 दिनांक 06 जुलाई, 2023 से आवंटी भलीभाँति भिज्ञ है।

02. उक्त निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि0वॉ0 हेतु रू0 25,000/–, 100 कि0वॉ हेतु रू0 50,000/– एवं 200 कि0वॉ0 हेतु रू0 1,00,000/–) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप मे जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। उक्तानुसार CPG 30 दिवस में जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमिशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। उक्तानुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जब्त कर ली जाएगी।

बीना देवी [handwritten signatures]

अ. नि.
अभियंता

CS CamScanner

03 कृपया इस आवंटन पत्र की प्रति के 10 दिवस के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि० के कार्यालय मे सम्पर्क कर पावर परचेज एग्रीमेन्ट (PPA) हस्ताक्षरित करें।

04 पावर परचेज एग्रीमेन्ट तथा आवंटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सूचीबद्ध फर्म को जारी कार्यादेश / कार्यादेश से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति उरेडा कार्यालय को भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें।

05. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार पूर्ण कराये जाने अनिवार्य होगें।

06 मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा स्थापना/कमीशनिंग हेतु निम्नवत शर्ते/मानक निर्धारित है, जो कि निम्नवत है:-

(a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the distribution licensee.
(b) Project completion report as verified by UREDA, the State nodal agency.
(c) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector.
(d) Further, such generator has to demonstrate minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning."

Provided that minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW is demonstrated within Three months from the date of first injection of power into licensee's grid on compliance of aforesaid pre-requisites.

07. आवेदक द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डो/के अनुरूप पूर्ण करायी जानी अनिवार्य होगी।

08. सम्बन्धित आवंटी/विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय यू0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाएगा।

09. संयत्र की स्थापना के उपरान्त दैवीय आपदा अथवा ऐसे अन्य कारणों से सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु आवंटी द्वारा संयत्र का बीमा अपने व्यय पर स्वंय कराया जाना होगा।

10 आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप मे इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।

11 इस योजना मे 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है, यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो सयंत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्यूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी।

12 परियोजना की कमीशनिंग (सी0ओ0डी0) से परियोजना अवधि (25 वर्षो) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जाना मान्य नहीं होगा।

मीना देवी कि ओम सिंह

CamScanner

13 स्पष्ट करना है कि उरेडा की भूमिका मात्र सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना के लिए आवंटी को सुविधा प्रदान करना है। उरेडा इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने या जारी करने मे सम्मिलित नही है। किसी भी स्तर पर आवंटी एंव फर्म के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार (अनुबन्ध/करार, कार्यादेश, भुगतान, वाद-विवाद आदि) के विवाद के मामले मे उरेडा वित्तीय, कानूनी या किसी अन्य प्रकार से उत्तरदायी/जिम्मेदार नही होगा।

14. स्पष्ट करना है कि आवंटित सोलर पावर प्लान्ट हेतु उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी MSME Policy-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन एंव लाभ आदि प्राप्त करने हेतु परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त https://investuttarakhand.uk.gov.in पर In-Principal approval (Common application form) प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा मे MSME Policy-2023 मे निहित प्रोत्साहन एंव लाभ प्राप्त नही होगें।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तो का अनुपालन कराते हुये " मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट संयत्र स्थापित कराने का कष्ट करें।

परियोजना अधिकारी
उरेडा-टिहरी

बीना देवी विक्रम सिंह

IN-UK12109697858260W

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttarakhand

सत्यमेव जयते

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UK12109697858260W
Certificate Issued Date	:	19-Mar-2024 11:06 AM
Account Reference	:	NONACC (SV)/ uk1229604/ TEHRI/ UK-TG
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UKUK122960430937300099636W
Purchased by	:	SMT BEENA DEVI
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	VILL-KHANDI PATTI-KHAS TEHRI GARHWAL
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	VIKRAM SINGH BEERBAL SINGH KIDI DEVI
Second Party	:	SMT BEENA DEVI
Stamp Duty Paid By	:	SMT BEENA DEVI
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	8,300 (Eight Thousand Three Hundred only)

दुर्गा प्रसाद उनियाल
स्टाम्प विक्रेता
कोर्ट काम्पाउण्ड, नई टिहरी

Please write or type below this line

विक्रम सिंह

बीना देवी

IRD 0014083805

बीना देवी

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at www.shcilestamp.com or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

पट्टा विलेख Lease Deed

यह पट्टा विलेख (इसके बाद पट्टा या पट्टा विलेख कहा जायेगा) मार्च 2023 माह के 19 वें दिन उप निबन्धक कार्यालय नई टिहरी, जिला टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड में पक्षकारान के बीच निम्न प्रकार निष्पादित किया जायेगा।

बिक्रम सिंह पुत्र श्री ज्ञान सिंह (Adhar no. 460529151389) (Mob.9897501756),

बीरबल सिंह पुत्र श्री लक्ष्मी चन्द (Adhar no. 588359915105) (Mob-9627522490), श्रीमती कीड़ी देवी पत्नी श्री हरिराम पुत्री श्री इन्द्रमणी (Adhar no.993027704166) (Mob.9560983348) सभी निवासी–ग्राम–खान्दी, पट्टी खास, तहसील–जाखणीधार, जिला–टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन–249123 इसके बाद इन्हे पट्टेदाता/लीज दाता/प्रथम पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानुनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होगें।

एवं

श्रीमती बीना देवी पत्नी श्री ऋषिपाल, निवासी–ग्राम व पो0–खेड़ाजट, हरिद्वारा उत्तराखण्ड (Adhar No-340984997506) (Mob-9719892109)–जिसे इसके बाद इन्हे पट्टेदार/लीज प्राप्त कर्ता/द्वितीय पक्ष कहा जायेगा जिनकी व्याख्या में जब तक सन्दर्भ से परे न हो उनके कानूनी उत्तराधिकारी, निष्पादक, प्रशासक और प्रथम पक्ष के अनुमत नियुक्त होंगे।

बीना देवी बिक्रम सिंह

1. यह कि प्रथम पक्ष/पट्टेदाता/लीज दाता ने ग्राम—खान्दी, पट्टी—खास, तहसील—जाखणीधार, जिला—टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड पिन—249123 के खतौनी खाता संख्या 00026 फसली वर्ष 1428—1433 में दर्ज खेत संख्या 322 रक्वा 0.029 हे0, खेत सं0—323 रक्वा 0.029 हे0, खेत सं0—324 रक्वा 0.041 हे0, खेत सं0—362 रक्वा 0.060 हे0, खेत सं0—325 रक्वा 0.023 हे0 कुल खेत 5 कुल रक्वा 0.182 हे0 याने 1820 वर्ग मीटर भूमि स्वामी बिक्रम सिंह, खाता सं0—00030 में दर्ज खेत सं0—364 रक्वा 0.026 हे0 व खेत सं0—366 रक्वा 0.025 हे0 कुल खेत 2 कुल रक्वा 0.051 हे0 याने 510 वर्ग मीटर भूमि स्वामी बीरबल सिंह, खतौनी खाता सं0—00006 में दर्ज खेत सं0—363 रक्वा 0.046 हे0 व खेत सं0—285 रक्वा 0.020 हे0 कुल खेत 2 कुल रक्वा 0.066 याने 660 वर्ग मीटर भूमि स्वामी श्रीमती कीड़ी देवी तीनों खातों का कुल रक्वा 0.299 हे0 याने 2990 वर्ग मीटर पट्टेदाता/प्रथम पक्ष मालिक सहभूमिधर व कब्जेदार स्वामी है उक्त भूमि को नीचे दी गई शर्तो व निबन्धन के अनुसार उक्त भूमि को पट्टे पर देने के लिए सहमत है, उक्त भूमि 27 साल के पट्टे पर लेना स्वीकार कर लिया है तथा पट्टेदार उत्तराखण्ड वैकल्पिक ऊर्जा अभिकरण (UREDA) के द्वारा 200 कि0वा0 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के सम्बन्ध में निर्गत परियोजना आवंटन पत्र सं0—722/उरेड़ा मु0मं0 सौर स्व0यो/2023—24 दिनांक 14.03.2024 के क्रम में 200 कि0वा0 सोलर पावर प्लांट स्थापित करने के प्रयोजन से उक्त भूमि को पट्टे पर ले रहा है।
2. यह कि पट्टा दिनांक 19.03.2024 से प्रारम्भ होकर 18.03.2051 याने 27 वर्ष के लिए रहेगा उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी पट्टेदार को उक्त भूमि की आवश्यकता होगी, तो आपसी समझौते पर पट्टा बढ़ाया जायेगा। पट्टेदार मु0 4200 रू0 प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रतिवर्ष की रकम पर उक्त भूमि को पट्टा/किराये पर ले रहा है, यह किराये राशि 10 वर्ष होगी तथा 10 वर्ष के पश्चात् किराया पट्टा राशि 10 प्रतिशत वार्षिक की दर से प्रत्येक 10 वर्ष में वृद्वि की जायेगी, पट्टेदार उक्त भूमि/सम्पत्ति को इस अनुबन्ध के समाप्त होने के पश्चात अर्थात 27 वर्ष होने के पश्चात् फिर उपयोग के लिए चाहेंगे, तो प्रथम पक्ष/पट्टादाता की सहमति के उपरान्त कर सकेंगे। अन्यथा भूमि खाली की जायेगी।

3. यह कि दोनों पक्षों द्वारा उक्त पट्टे पर दी गई भूमि का वार्षिक किराया वर्तमान में 4200 रू0 प्रतिनाली (लगभग 200 वर्ग मीटर) प्रति वर्ष निर्धारित किया गया है, प्रथम 10 वर्ष के लिए 6,27,900 रू0, द्वितीय 10 वर्ष के लिए 6,90,690 रू0 तथा अन्तिम 7 वर्ष के लिये 5,31,831.30 रू0 याने कुल 27 वर्ष का किराया मु0 18,50,421.30 रू0 तथा औसत वार्षिक किराया 68,534.12 रू0 होता है तथा प्रतिमाह औसत किराया 5,711.17 रू0 होता है तथा मार्च 2023 का किराया अदा किया जा चुका है। एवं प्रत्येक अप्रैल माह में किराया अदा करना होगा।
4. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि से सम्बन्धित कोई कर या अन्य परिभार समय–समय पर जो कि किसी भी अवधि के लिए देय होगा, पट्टेदार द्वारा अदा किया जायेगा, पट्टेदार अपने नाम से उक्त भूमि पर विद्युत कनेक्शन, जल संयोजन व अन्य उपयोग के कनेक्शन इत्यादि व सौन्दर्यकरण करवा सकता है।
5. यह कि पट्टे पर दी गई भूमि का पट्टेदार को वैधानिक रूप से सौर ऊर्जा प्लांट लगाने के लिए जैसे चाहे इस्तेमाल, उपयोग, उपभोग करने का अधिकार होगा तथा उक्त भूमि पर पट्टेदार को किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत या व्यावसायिक उपयोग से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का सामान आदि रखने किसी प्रकार का स्थाई निर्माण तथा किसी भी प्रकार की लोडिंग, अनलोडिंग आदि करने का अधिकार होगा।
6. यह कि पट्टेदार को उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त वैकल्पिक सोलर पावर प्लांट लगाये जाने हेतु 25 वर्ष के लिए स्वीकृति मिल चुकी है।
7. यह कि पट्टादाता एवं पट्टेदार को पट्टा अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्ध को ऋणदाता बैंक की अनुमति के बिना समाप्त करने का कोई अधिकार नहीं होगा। पट्टादाता उक्त भूमि को उक्त अवधि के दौरान विक्रय नहीं कर सकेंगे।
8. यह कि उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेश संख्या 1406/XVIII(II)2019-20(78)2018 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदार और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950) (संशोधन) की धारा–150(क) एवं धारा 156 का संशोधन अध्यादेश दिनांक 18.11.2019 के अनुसार भूमि लीज पर दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

बीना देवी

9. यह कि लीजशुदा भूमि का वार्षिक औसत किराया मु0 68,634.12 रू0 है तथा उक्त किराया के 6 गुना मु0 4,12,000 रू0 पर निर्धारित स्टाम्प शुल्क मु0 8300 रू0 अदा किया गया है।

10. यह कि इस पट्टे विलेख में बताये गये अनुसार पट्टादाता यह पुष्टि करता है कि पट्टेदार को परियोजना व इस पट्टे विलेख में दी गई जमीन के पट्टा अधिकारों को किसी भी वित्तीय संस्था से ऋण प्राप्त करने व किसी भी सिक्यूरिटि/गिरवी रखने के लिये पट्टेदाता से अनुमति या अनापत्ति प्रमाणपत्र हासिल करने की कोई जरूरत नहीं होगी और इस पट्टे में पट्टेदार के अधिकार एवं हित ऋणदाताओं के पक्ष में कर सकता है, जिनमें उनके प्रतिनिधि, उत्तराधिकारी, हस्तांतरण, और नियुक्त सम्मिलित है, (परियोजना के लिये ऋणदाता और पट्टेदार इस परियोजना के लिये हासिल किये गये या हासिल किये जाने वाले ऋण के भुगतान के लिये एक सिक्युरिटी के रूप में रख सकेगा, हालांकि परियोजना के ऋणदाताओं या पट्टेदार का कोई भी अधिकार पट्टे की अवधि से अधिक नहीं होगा जब तक की दोनों द्वारा इसे विस्तारित करने के लिये लिखित में कोई घोषणा नहीं होती है,) पट्टेदाता परियोजना के लिए पट्टेदार के द्वारा लिये गये किसी भी ऋण के लिये जिम्मेदार नहीं होगा, पट्टेदार के पास भूमि पार्सल का स्वामित्व एवं स्वामित्व अधिकारों को गिरवी रखने का अधिकार नहीं है, परन्तु उसके पास भूमि पार्सल पर इस पट्टे के अधिकारों को गिरवी रखने का हक हासिल है, पट्टे की समाप्ति के उपरान्त पट्टेदार एवं उसके ऋणदाताओं का भूमि पार्सल पर कोई अधिकार नहीं होगा, भूमि पर बैंक से पट्टादार ऋण ले सकता है।

11. यह कि पट्टादाता के द्वारा श्रीमती बीना देवी पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित भूमि के सापेक्ष उस पर प्रस्तावित/स्थापित 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रके विरूद्ध बैंक ऋण बकाया होने की अवधि तक या भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) विद्यमान रहने की अवधि तक, जो भी अधिक हो, किसी भी प्रकार का कोई अन्य ऋणभार (Encumberance) पट्टादाता के द्वारा नही लिया जायेगा।

12. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती बीना देवी पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) ऋण के बकाया होने की तिथि तक उस बैंक, जिसके द्वारा श्रीमती बीना देवी को 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिये ऋण उपलब्ध कराया गया है, की सहमति के बिना समाप्त नही किया जा सकता है। तथापि ऋणदाता बैंक के द्वारा उपलब्ध कराये गये ऋण के समाप्त हो जाने के उपरान्त यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) पट्टादाता एवं श्रीमती बीना देवी की आपसी सहमति से समाप्त किया जा सकता है।

13. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती बीना देवी, पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित यह भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) दिनांक 19.03.2024 से प्रारम्भ होकर 18.03.2051 याने 27 साल की अवधि तक वैद्य होगा एवं इसमें दी गयी विभिन्न शर्तें दोनो पक्षों पर लागू होंगी।

14. यह कि यदि ऋणदाता बैंक के द्वार श्रीमती बीना पट्टेदार को Defaulter घोषित कर दिया जाता है तो उस स्थिति में ऋणदाता बैंक इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) को किसी अन्य पक्ष को नियमानुसार प्रतिस्थापित कर सकता है।

15. यह कि पट्टादाता का प्रस्तावित/स्थापित 200 कि0वा0 क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्रों पर किसी भी प्रकार को कोई हक/अधिकार नहीं होगा।

16. यह कि पट्टादाता एवं श्रीमती बीना देवी पट्टेदार के मध्य हस्ताक्षरित इस भूमि पट्टा विलेख (Land Lease Deed) से सम्बन्धित विवरण संलग्नक–1 के रूप में संलग्न है। उक्त भूमि की सीमायें निम्न से घिरी हुई हैः–

पूर्वः– बीरबल सिंह की भूमि।

पश्चिमः– चतर सिंह की भूमि।

उत्तरः– रास्ता।

दक्षिणः– प्रेम सिंह की भूमि।

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (विक्रम सिंह) की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (बीरबल सिंह) की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

प्रथम पक्ष/पट्टा दाता (श्रीमती कौड़ी देवी) की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
बायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

विक्रम सिंह

द्वितीय पक्ष/पट्टाग्रहीता की उंगलियों की छाप–

दायें हाथ की अंगुलियों के निशान					
वायें हाथ हाथ की अंगुलियों					

अतः आज दिनांक 19.03.2024 को इस अनुबन्ध को करने वाले पट्टादाता/पट्टेदार निम्न गवाहों की उपस्थिति में हस्ताक्षर करके निष्पादित किया जाता है।

ह0 प्रथम पक्ष/पट्टादाता

ह0 द्वितीय पक्ष/पट्टेदार

रचियता

देवेन्द्र दुमोगा

एडवोकेट

देवेन्द्र सिंह दुमोगा
एडवोकेट
रजि. नं0-05, मो.-9412076539
कोर्ट कम्पाउण्ड नई टिहरी
रजि-UK-2234/04, UP-1149/92

गवाह

1. गुलाब सिंह पुत्र श्री चन्दन सिंह, निवासी–ग्राम–खान्दी, पट्टी–खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड।
आधार नं0–493532279535
Mob.9719123545

2. विकास स्वरूप पुत्र श्री माधवानन्द, निवासी–ग्राम–खान्दी, पट्टी–खास, तहसील जाखणीधार, जिला टिहरी गढवाल, उत्तराखण्ड।
आधार नं0– 552609349306
Mob. 9084424742

कार्यालयः उत्तराखण्ड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा)
तहसील भवन, नरेन्द्रनगर ,जनपद–टिहरी गढ़वाल।
फोन नं0 – 01378–227260
email- ureda.tehri@gmail.com

पंत्राक संख्या 722/उरेडा/मु.मं. सौर स्व0यो/ 2023–24 दिनांक 14 मार्च, 2024

परियोजना आवंटन पत्र

सेवा में,

श्रीमती बीना देवी
खेड़ा जाट
हरिद्वार।

विषयः–" मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत 200 कि0वा0 क्षमता के सोलर पावर प्लान्ट का आवंटन पत्र।

महोदय,

उपरोक्त योजना के अन्तर्गत आपके online आवेदन के निर्धारित शर्तो के अनुसार परीक्षणोंपरान्त उपयुक्त पाये जाने के दृष्टिगत 200 kw क्षमता का सोलर फोटोवोल्टाइक पावर प्लान्ट आपको निम्न शर्तो के आधार पर आवंटित किया जाता है।

कम सं0	मद	विवरण
01.	पंजीकरण संख्या–	2669
02.	संयत्र की क्षमता	200 कि0वा0
02.	निर्धारित विद्युत विकय दर	परियोजना की कमीशनिंग की तिथि के सापेक्ष मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर (वर्तमान मे रू0 4 64 प्रति यूनिट)
03.	प्रस्तावित स्थापना स्थल (इस आवंटन पत्र के सापेक्ष परियोजना की स्थापना अन्य जनपद में किया जाना अनुमन्य नहीं है)	काण्डी, विकास खण्ड–जाखणीधार, टिहरी गढवाल।
04.	संयत्र की कमीशनिंग हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि	परियोजना आवंटन तिथि से 12 माह के अन्तर्गत
05.	संयत्र से उत्पादित विद्युत के कय की अवधि	संयत्र की कमीशनिंग तिथि से 25 वर्षो तक

01. योजना हेतु शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 697/1-1/2020-03/02/2020 दिनांक 22 सितम्बर 2020, संशोधित शासनादेश संख्या 72/1-1/2021/03/02/2020 TC दिनांक 25 जनवरी, 2021 एवं 385/1-1/2023-03/02/2020 दिनांक 13 मार्च, 2023 एव पत्र संख्या– 1058/1-1/2023-03/02/2020(F-File No.30740 दिनांक 06 जुलाई, 2023 से आवंटी भलीभॆंति भिज्ञ है।
02. उक्त निर्गत परियोजना आवंटन पत्र (LoA) की तिथि से आवंटी द्वारा 30 दिवस के भीतर Contract Performance Guarantee (50 कि0वॉ0 हेतु रू0 25,000/–, 100 कि0वॉ हेतु रू0 50,000/– एवं 200 कि0वॉ0 हेतु रू0 1,00,000/–) उरेडा परियोजना कार्यालय पर FD/CDR/TDR के रूप मे जिसकी वैधता न्यूनतम 2 वर्ष हो, जमा की जानी होगी। उक्तानुसार CPG 30 दिवस में जमा न होने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा। परियोजना स्थापना एवं कमिशनिंग परियोजना आवंटन पत्र (LoA) से 12 माह के अन्तर्गत की जानी अनिवार्य होगी। उक्तानुसार स्थापना 12 माह के अन्तर्गत न होने पर आवंटन निरस्त कर CPG जब्त कर ली जाएगी।

CamScanner

03 कृपया इस आवटन पत्र की प्रति के 10 दिवस के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0 के कार्यालय मे सम्पर्क कर पावर परचेज एग्रीमेन्ट (PPA) हस्ताक्षरित करे।

04 पावर परचेज एग्रीमेन्ट तथा आवटित सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना हेतु सूचीबद्ध फर्म को जारी कार्यादेश/ कार्यादेश से सम्बन्धित अभिलेख की प्रति उरेडा कार्यालय को भी अभिलेखार्थ उपलब्ध करायें।

05. सोलर पावर प्लान्ट के ग्रिड संयोजन, विद्युत उत्पादन, स्थापना/कमीशनिंग आदि से सम्बन्धित तकनीकी मानक मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा निर्धारित रेग्यूलेशन के अनुसार पूर्ण कराये जाने अनिवार्य होगें।

06. मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) द्वारा स्थापना/कमीशनिंग हेतु निम्नवत शर्तें/मानक निर्धारित है, जो कि निम्नवत है:-

(a) Installation of energy meter as certified by the concerned Executive Engineer of the distribution licensee.
(b) Project completion report as verified by UREDA, the State nodal agency.
(c) Issuance of Clearance Certificate by the Electrical Inspector.
(d) Further, such generator has to demonstrate minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW at the time of inspection for initial commissioning."

Provided that minimum 75% Performance Ratio based on the rated installed capacity in kW or MW is demonstrated __within Three months__ from the date of first injection of power into licensee's grid on compliance of aforesaid pre-requisites.

07. आवेदक द्वारा सोलर पावर प्लान्ट की स्थापना नवीन एंव नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार (एम0एन0आर0ई0) द्वारा निर्धारित तकनीकी मापदण्डो/के अनुरूप पूर्ण करायी जानी अनिवार्य होगी।

08. सम्बन्धित आवंटी/विकासकर्ता द्वारा Commercial Operation Date (COD) की तिथि अनुसार ही मा0 उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ पर विद्युत क्रय यू0पी0सी0एल0 द्वारा किया जाएगा।

09. संयत्र की स्थापना के उपरान्त दैवीय आपदा अथवा ऐसे अन्य कारणों से सम्भावित क्षतिपूर्ति हेतु आवंटी द्वारा संयत्र का बीमा अपने व्यय पर स्वंय कराया जाना होगा।

10. आवंटी द्वारा प्रभावी MSME पॉलिसी के अन्तर्गत लाभ लिये जाने हेतु इस योजना के अन्तर्गत केवल आवंटी द्वारा प्रोपराइटरशिप के रूप में आवेदन किया जाना होगा। अन्य किसी विकल्प पार्टनरशिप फर्म, कम्पनी, ट्रस्ट अथवा सोसाइटी के रूप में इस योजना के अन्तर्गत स्थापना अनुमन्य नहीं होगी।

11 इस योजना में 01 परिवार से केवल 01 ही आवेदक को 01 ही सोलर पावर प्लान्ट आवंटित किया जाना है, यदि बिना उरेडा अभिकरण के किसी भी समय एक ही परिवार को दो सयत्र आवंटन का तथ्य गलत पाया जाता है तो उरेडा द्वारा आवंटन को निरस्त कर जमा सिक्यूरिटी (CPG) जब्त कर ली जायेगी।

12 परियोजना की कमीशनिंग (सी0ओ0डी0) से परियोजना अवधि (25 वर्षों) तक, स्थापित सोलर पावर प्लान्ट का स्वामित्व परिवार के अन्य पात्र सदस्य के अतिरिक्त किसी अन्य को हस्तान्तरित किया जाना मान्य नही होगा।

CS CamScanner

13 स्पष्ट करना है कि उरेडा की भूमिका मात्र सौर ऊर्जा संयत्र की स्थापना के लिए आवंटी को सुविधा प्रदान करना है। उरेडा इस योजना के लिए धन की व्यवस्था करने या जारी करने मे सम्मिलित नही है। किसी भी स्तर पर आयंटी एंव फर्म के मध्य उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार (अनुबन्ध/करार, कार्यादेश, भुगतान, वाद–विवाद आदि) के विवाद के मामले में उरेडा वित्तीय, कानूनी या किसी अन्य प्रकार से उत्तरदायी/जिम्मेदार नही होगा।

14. स्पष्ट करना है कि आवंटित सोलर पावर प्लान्ट हेतु उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी MSME Policy-2023 के अन्तर्गत अनुमन्य प्रोत्साहन एंव लाभ आदि प्राप्त करने हेतु परियोजना आवंटन पत्र प्राप्त होने के उपरान्त https://investuttarakhand.uk.gov.in पर In-Principal approval (Common application form) प्राप्त करना आवश्यक होगा। अन्यथा की दशा मे MSME Policy-2023 मे निहित प्रोत्साहन एंव लाभ प्राप्त नहीं होगें।

अतः उपरोक्तानुसार शर्तो का अनुपालन कराते हुये " मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना" के अन्तर्गत सोलर पावर प्लान्ट संयत्र स्थापित कराने का कष्ट करें।

परियोजना अधिकारी
उरेडा–टिहरी

CS CamScanner

बही संख्या 1 जिल्द 56 के पृष्ठ 325 से 352 पर क्रमांक 181 पर आज दिनांक

19 Mar 2024 को रजिस्ट्रीकरण किया गया।

रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी /
उप-निबंधक,जाखणीधार
19 Mar 2024